राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)( )श.से.शि.–2026/डीएलबी/2026/पार्ट फाईल–1 दिनांक : 29 JUN 2026

आदेश

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक भूमि/एफ. 7(ड)(श.से.शि.)/डीएलबी/2026/3651 दिनांक 10.06.2026 एवं समय–समय पर जारी स्पष्टीकरण द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु शहरी सेवा शिविर–2026 के संबंध में आदेश जारी किए गए है।

उक्त आदेशों की निरन्तरता में निम्नानुसार आदेश/स्पष्टीकरण जारी किए जाते है :–

1. **धारा 69–ए के संबंध में –**

यदि कोई व्यक्ति राजस्थान नगर पालिका (गैर कृषि भूमि का अभ्यार्पण और पूर्ण स्वामित्व पट्टे की मंजूरी) नियम, 2015 के तहत नगर पालिका के नाम दर्ज आबादी भूमि में जारी स्टेट ग्राण्ट एक्ट के पट्टे को समर्पित कर धारा 69–ए के तहत पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे प्रकरणों में यदि आवेदक स्वयं पट्टाधारक है अथवा मूल पट्टाधारक की मृत्यु होने पर उनके समस्त वारिसान द्वारा संयुक्त रूप से पट्टा चाहा गया है तो मूल पट्टा नगर निकाय के पक्ष में समर्पित किया जाकर नवीन पट्टा जारी किया जावें।

विभागीय आदेश दिनांक 10.06.2026 के अनुसार शुल्क वसूल किया जावेगा। यदि आवेदक मूल पट्टाधारी ना होकर हस्तानान्तरित है तो ऐसे प्रकरणों में मूल पट्टा मय स्वामित्व चैन दस्तावेज नगरीय निकाय के पक्ष में समर्पित कर विभागीय आदेश दिनांक 10.06.2026 के अनुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त वर्तमान में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर के अनुसार 10 वर्षीय एक मुश्त लीज राशि जमा किया जाकर धारा 69–ए के तहत फ्री–होल्ड पट्टा जारी किया जावें।

2. **नामान्तरण/उपविभाजन/पुनर्गठन/भू–उपयोग परिवर्तन उपरान्त पट्टा जारी किये जाने के संबंध में –**

नवीन आवेदनों में नामान्तरण/उपविभाजन/पुनर्गठन/भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अभियान के दौरान दी गई छूटों से आमजन को लाभान्वित करते हुए नवीन पट्टा जारी किया जावें। अभियान के दौरान इस हेतु पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र सहित (स्वामित्व के समस्त चैन दस्तावेज यथा पुराना पट्टा/लीज डीड) को नगरीय निकाय के पक्ष मे समर्पित करवाकर नामान्तरण/उपविभाजन/पुनर्गठन/भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त आवासीय पट्टा में 10 रू प्रति वर्गमीटर एवं गैर–आवासीय पट्टों में 20 रू प्रति वर्ग मीटर प्रशासनिक शुल्क के

रूप में लिया जाकर नवीन पट्टा जारी किया जावें। लीज–होल्ड से लीज–होल्ड एवं फ्री–होल्ड से फ्री–होल्ड पट्टा लिये जाने हेतु (नामान्तरण / उपविभाजन / पुनर्गठन / भू–उपयोग परिवर्तन की स्थिति में) आवेदन किये जाने पर उपरोक्तानुसार शुल्क लिया जा कर पुराना पट्टा / लीज डीड समर्पण कराकर नवीन पट्टा जारी किया जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

29/6/26
(रवि विजय)
उप शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार,जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान / एन.सी.आर. / स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
13. उप शासन सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
15. समस्त प्रशासक, नगर निगम / परिषद / पालिका, राजस्थान।
16. समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद ध्पालिका,
17. समस्त जोन उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर / कोटा / जोधपुर।
18. नविवि, स्वा.शा. एवं हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारीगण, राजस्थान।
19. जनसम्पर्क अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
20. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
21. रक्षित पत्रावली।

29/6/26
उप शासन सचिव–प्रथम